राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–1) विभाग

विषय : अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जिला प्रभारी सचिवों एवं अन्य सचिवों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 3 जिलों का भ्रमण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि जो प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव जिलों के प्रभारी हैं, वे उन जिलों में अपने भ्रमण के दौरान अन्य विभागों के साथ–साथ अपने विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे एवं समस्याओं का निदान करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री महोदया ने यह भी निर्देश दिये हैं कि समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव गण, प्रमुख सचिव गण एवं सचिव गण अपने विभाग के कार्यक्रमों/गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रतिमाह कम से कम 3 जिलों का भ्रमण करेंगे। साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे एक माह में कम से कम 5 दिवस का समय इन भ्रमणों हेतु निश्चित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के समस्त जिलों का प्रतिवर्ष विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों एवं सचिवों द्वारा भ्रमण कर लिया गया है । जिले के प्रभारी सचिव अपनी भ्रमण रिपोर्ट में न केवल अपने जिले के समस्त विभागों की प्रमुख गतिविधियों एवं उनकी समस्याओं का उल्लेख करेंगे बल्कि उनके द्वारा माह के दौरान जिन अन्य जिलों का भ्रमण किया गया है, उनकी गतिविधियों के बारे में दिनांक सहित अंकन करेंगे। प्रभारी सचिव/विभागीय सचिव उक्त रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री महोदया के अवलोकन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ।

यह अपेक्षा की जाती है कि इन निर्देशों की गंभीरता से पालना की जायेगी।

(ओ.पी.मीना)
मुख्य सचिव

समस्त अति.मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव
अ.शा.टीप संख्या: प.26(2)प्र.सु./सम/अनु-1/09 पार्ट
जयपुर, दिनांक 15.09.2016

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त रिपोर्टों को संकलित कर उन्हें माननीय मुख्य मंत्री महोदया के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
2. सचिव(प्रथम), मुख्य मंत्री जी को सूचनार्थ।